प्रेस विज्ञप्ति

06.01.2026

**प्रवर्तन निदेशालय, मुख्यालय कार्यालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के अंतर्गत गाजियाबाद स्थित कंपनी से संबद्ध परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया; सरकारी नीतियों को प्रभावित करने तथा भारत की ऊर्जा सुरक्षा को कमजोर करने हेतु विदेशी निधियों के संदिग्ध दुरुपयोग का खुलासा किया**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय ने 05.01.2026 को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के अंतर्गत दिल्ली-एनसीआर में **मेसर्स सतत संपदा प्राइवेट लिमिटेड (एसएसपीएल)** से संबद्ध विभिन्न परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया है। यह तलाशी अभियान **वर्ष 2021 से 2025 के बीच** गाजियाबाद में स्थित एक इकाई - एसएसपीएल,जिसे दंपति हरजीत सिंह एवं श्रीमती ज्योति अवस्थी द्वारा संचालित किया जाता है, द्वारा प्राप्त **₹6 करोड़** से अधिक की संदिग्ध विदेशी अंतर्वाह विप्रेषणों (रेमिटेन्स) की चल रही जांच के क्रम में किया गया।

ईडी की जांच में यह खुलासा हुआ कि उक्त विप्रेषण (रेमिटेन्स) "**कंसल्टेंसी शुल्क**" की आड़ में क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क (सीएएन) तथा स्टैंड.अर्थ (STAND.EARTH) आदि सहित विभिन्न विदेशी संस्थाओं से प्राप्त किए गए थे, जिन्हें बदले में रोकफेलर फिलैन्थ्रपी एडवाइसर्स जैसी पूर्व संदर्भ श्रेणी की गैर-सरकारी संस्थाओं (एनजीओ) से भारी मात्रा में धनराशि प्राप्त हुई थी। तथापि, विदेशों में विप्रेषणकर्ताओं द्वारा की गई फाइलिंग्स के पारस्परिक सत्यापन से यह संकेत मिलता है कि यह धनराशि वास्तव में भारत के भीतर **फॉसिल फ्यूल नॉन-प्रोलिफरेशन ट्रीटी (एफएफ-एनपीटी)** के एजेंडा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भेजी गई थी।

एफ़एफ़-एनपीटी (एफएफ-एनपीटी) एक प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय संधि है, जिसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधन के उत्पादन को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना है। यद्यपि इसे एक जलवायु पहल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, किंतु इसके अंगीकरण से भारत को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है तथा देश की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

**विदेशी प्रभाव सक्रियतावाद के लिए मुखौटा कंपनी:**

एसएसपीएल सार्वजनिक रूप से स्वयं को जैविक खेती को बढ़ावा देने तथा जैविक उत्पादों के विपणन में लगी एक कृषि-आधारित कंपनी के रूप में प्रस्तुत करती है। तथापि, ईडी की जांच से संकेत मिलता है कि यह दिखावा की गतिविधि है। कंपनी की मुख्य गतिविधि विदेशी प्रभावक समूहों की तरफ से भारत में एफएफ-एनपीटी के पक्ष में कथानक (नैरेटिव) के प्रसार के लिए विदेशी धनराशि को चैनलीकृत करना प्रतीत होती है।

एसएसपीएल की वित्तीय स्थिति के विश्लेषण से यह सामने आता है कि वर्ष 2020-21 से पूर्व कंपनी घाटे में संचालित हो रही थी तथा परामर्श सेवाओं से होने वाली आय नगण्य थी। वर्ष 2021 के पश्चात, ₹6.5 करोड़ से अधिक की विदेशी विप्रेषण राशि प्राप्त होने के साथ ही, एसएसपीएल ने इन निधियों को "कंसल्टेंसी सेवाओं" एवं "कृषि-उत्पाद बिक्री" से अर्जित राजस्व के रूप में दर्शाकर लाभ प्राप्त कंपनी बन गई। एसएसपीएल के शेयरधारकों, हरजीत सिंह एवं श्रीमती ज्योति अवस्थी, ने विदेशी गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) से प्राप्त धनराशि को निजी उपयोग हेतु अपने व्यक्तिगत खातों में स्थानांतरित (डायवर्ट) किया।

**खुलासा किए गए अतिरिक्त उल्लंघन:**

गाजियाबाद में एसएसपीएल के निदेशक हरजीत सिंह के आवासीय परिसर पर की गई तलाशी के दौरान अनुमेय सीमा से अधिक मात्रा में **भारतीय तथा विदेशी निर्मित शराब का एक बड़ा जखीरा** बरामद किया गया। यह जानकारी ईडी द्वारा तत्काल उत्तर प्रदेश राज्य आबकारी विभाग के साथ साझा की गई, जिसने अतिरिक्त शराब को जब्त किया तथा उत्तर प्रदेश राज्य आबकारी कानूनों के उल्लंघन के आरोप में **हरजीत सिंह को गिरफ्तार किया।**




**एसएसपीएल के निदेशकों की पृष्ठभूमि और विदेशी यात्राएँ जांच के दायरे में:**

हरजीत सिंह, एक स्वयंघोषित जलवायु कार्यकर्ता तथा सतत संपदा क्लाइमेट फ़ाउंडेशन के संस्थापक निदेशक, एवं उनकी पत्नी श्रीमती ज्योति अवस्थी, जो पूर्व में क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क साउथ एशिया (सीएएनएसए) से संबद्ध रही हैं, ने अपनी सक्रियता को आगे बढ़ाने के लिए एसएसपीएल का उपयोग किया है।

ईडी सिंह की विदेश यात्राओं की भी जांच कर रही है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- फरवरी 2025 में **'ब्रीद पाकिस्तान समिट'** के लिए पाकिस्तान की यात्रा तथा वहां जिन विभिन्न व्यक्तियों से उन्होंने मुलाकात की।




- दिसंबर 2025 में बांग्लादेश की यात्रा, जो भारत-विरोधी प्रदर्शनों की अवधि के दौरान की गई, जहां उन्होंने बिना किसी आधिकारिक आमंत्रण के शेर-ए-बांग्ला विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान दिया तथा घोषित उद्देश्य से असंबद्ध विभिन्न व्यक्तियों से मुलाकात की। इन यात्राओं के लिए की गई वित्तपोषण व्यवस्था भी जांच के दायरे में है।



**ईडी द्वारा चल रही जांच:**

ईडी को संदेह है कि एसएसपीएल द्वारा प्राप्त विदेशी निधियों की प्रकृति और उद्देश्य का गलत विवरण और भ्रामक प्रस्तुतीकरण किया गया है। एजेंसी, फेमा, 1999 के संभावित उल्लंघनों के पूरे दायरे और क्या इन निधियों से समर्थित गतिविधियाँ राष्ट्रीय हित, विशेष रूप से भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए खिलाफ थीं, इसकी जांच कर रही है। वित्तीय लेन-देन के निशान (ट्रैल), विदेशी वित्तपोषण संस्थाओं की भूमिका, और निदेशकों की गतिविधियों की विस्तृत जांच प्रगतिशील है।